(154)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs.20/-

223
27.6.15

निगरानी 2535-III-15

1. धर्मेन्द्र सोनी पिता रामावतार सोनी उम्र 35 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम मेडियारास तहसील एवं जिला अनूपपुर (म0प्र0)

2. रामावतार सोनी पिता स्व0 नानदाऊ सोनी उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम मेडियारास तहसील एवं जिला अनूपपुर (म0प्र0) (मृत)

2(अ) श्रीमती राधा सोनी पत्नी रामावतार सोनी उम्र 60 वर्ष

2(ब) सूरज प्रसाद सोनी तनय स्व0 रामावतार सोनी उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी ग्राम मेडियारास तहसील व जिला - अनूपपुर (म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुरेश सोनी पिता स्व0 शंकर सोनी

2. संतोष सोनी पिता स्व0 शंकर सोनी

3. भूषण सोनी पिता स्व0 शंकर सोनी

तीनो निवासी ग्राम मेडियारास तहसील एवं जिला अनूपपुर (म0प्र0)

4. मुन्नी बाई उर्फ रामलली पिता स्व0 शंकर सोनी पति लक्ष्मण सोनी निवासी करौदी तहसील बरही जिला कटनी (म0प्र0)

5. रामसखी पिता स्व0 शंकर सोनी पति पड़सू सोनी निवासी बुढ़ानपुर तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म0प्र0)

.................अनावेदकगण

क्रमांक.............................
रजिस्टर ... आज
दि... प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री डी0पी0 अहिरवार कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल (म0प्र0) द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 227/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

क्रमशः.....2

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2535–दो / 2015 जिला अनूपपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16–8–2017 | आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22–2–2014 की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि नामान्तरण सह बटवारे के के बावत पारित आदेश की अधिकारिता राजस्व निरीक्षक को नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गुण–दोष पर आधारित होने से हस्ताक्षेप योग्य नहीं मानते हुये अपील अमान्य की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |